प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 334 सन 2022
अनवान :–

1. कर्ण सिंह भाटी पुत्र दुर्गा सिंह भाटी जाति राजपूत निवासी किकंराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 23/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की वादी के नाम रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 250/259 की कुल 2.6050हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम करणीसिह पुत्र दुर्गासिह दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम करणीसिह पुत्र दुर्गासिह दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर करणीसिह पुत्र दुर्गासिह के स्थान पर कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया।

तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशांसन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष– 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 250/259 की कुल 2.6050हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम करणीसिह पुत्र दुर्गासिह दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

उपखण्ड अधिकारी

नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम करणीसिह पुत्र दुर्गासिह दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है वादीया का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 250/259 की कुल 2.6050हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम करणीसिह पुत्र दुर्गासिह दर्ज किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी के स्थान पर करणीसिह पुत्र दुर्गासिह दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम कर्णसिह भाटी पुत्र दुर्गासिह भाटी होना प्रतित होता है प्रस्तुत दस्तावेजात /शपथ पत्र के आधार पर वादी का नाम संशोधन किया जा सकता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र /पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत /वादी के शपथ पत्र/सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक/ पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 250/259 की कुल 2.6050हैक भूमि में वादी का नाम करणी सिह पुत्र दुर्गा सिह अंकित है के स्थान पर करणीसिह उर्फ कर्णसिह पुत्र दुर्गा सिह भाटी सशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री/आदेश आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट......................

उपखण्ड अधिकारी
नोहर